



प्रेस नोट (थाना नहतौर)

थाना नहतौर पुलिस द्वारा 04 शातिर चोर, चोरी के 25 हजार रुपये, 01 चैन, 01 अंगूठी, 01 जोड़ी कानों की बाली पीली धातु, 04 कार्टून कोल्ड ड्रिंक, 01 कार्टून विस्किट, 01 कार्टून हैण्ड सैनेटाईजर, 06 कार्टून कोल्ड ड्रिंक जालटा कम्पनी, 03 मोबाईल फोन, नोकिया, टैक्नो व जाल्टा सामान सहित गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी व क्षेत्राधिकारी धामपुर के कुशल प्रयवेक्षण में थाना नहतौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कस्बा नहतौर से शातिर चोर 1.ओशु उर्फ बसीकुरहमान पुत्र अकीलुरहमान निवासी मौ0 तकियागढी पूर्वी कस्बा व थाना नहतौर बिजनौर 2.हरीश पुत्र दिलीप निवासी मौ0 तकियागढी पूर्वी कस्बा व थाना नहतौर बिजनौर 3.वाजिद पुत्र नफीस निवासी मौ0 तकियागढी पूर्वी कस्बा व थाना नहतौर बिजनौर 4.शहजाद पुत्र जाहिद निवासी मौ0 लालबाग कासमपुर लेखराज कस्बा व थाना नहतौर बिजनौर 5.अलीम पुत्र याकूब निवासी मौ0 कस्बा PNB के सामने थाना नहतौर बिजनौर को 25 हजार रुपये, 01 चैन, 01 अंगूठी, 01 जोड़ी कानों की बाली पीली धातु, 04 कार्टून कोल्ड ड्रिंक (256 पाउच), 01 कार्टून विस्किट (360 पैकेट), 01 कार्टून हैण्ड सैनेटाईजर (1440 पाउच), 06 कार्टून कोल्ड ड्रिंक जालटा कम्पनी (144 बोतल), 03 मोबाईल फोन, नोकिया, टैक्नो व जाल्टा कम्पनी सहित गिरफ्तार किया गया।

अभि0गण द्वारा पूछताछ में बताया कि सभी के द्वारा बताया कि पीली धातु की ज्वैलरी उनके द्वारा कस्बा नहतौर के मौहल्ला जिगर कॉलौनी से चोरी किया था। बरामद कार्टून उनके द्वारा दिनांक 05/06. 07.2021 की रात्रि तकियागढी पूर्वी वाली गली में गोदाम से चोरी किया गया था। सभी सामान का बँटवारा करने वाले थे कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण व बरामदगी का विवरण

1. ओशु उर्फ बसीकुरहमान पुत्र अकीलुरहमान निवासी मौ0 तकियागढी पूर्वी कस्बा व थाना नहतौर।
2. हरीश पुत्र दिलीप निवासी मौ0 तकियागढी पूर्वी कस्बा व थाना नहतौर बिजनौर।
3. वाजिद पुत्र नफीस निवासी मौ0 तकियागढी पूर्वी कस्बा व थाना नहतौर बिजनौर।
4. शहजाद पुत्र जाहिद निवासी मौ0 लालबाग कासमपुर लेखराज कस्बा व थाना नहतौर बिजनौर।
5. अलीम पुत्र याकूब निवासी मौ0 कस्बा PNB के सामने थाना नहतौर बिजनौर।

बरामदगी:-

- 1- 25,000 रुपये नकद
- 2- एक अदद पीली धातु की चैन,
- 3- एक अंगूठी पीली धातु,
- 4- एक जोड़ी पीली धातु की कानों की बाली,
- 5- चार कार्टून कोल्ड ड्रिक्स फ्रूटी प्रत्येक में 64 पाउच कुल 256 पाउच,
- 6- एक कार्टून बिस्कुट सनफिस्ट जिसमें 360 पैकेट,
- 7- एक कार्टून हैड सेने ट्राइजर सेविलोन कम्पनी का जिसमें कुल 1440 पाउच,
- 8- 06 कार्टून कोल्ड ड्रिक्स जालटा कम्पनी जिसमें प्रत्येक में 24 कुल 144 बोतल,
- 9- एक मोबाईल फोन नोकिया 1108, एक मोबाईल फोन लाफून कम्पनी व एक मोबाईल फोन टेक्नो कम्पनी

प्रकाश में आया अभियुक्तगण ओशु उर्फ बसीकुरहमान उपरोक्त आदि 05 नफर उपरोक्त का आपराधिक

इतिहास

1. मु0अ0स0 188 / 2021 धारा 457 / 380 / 411 / 34 भादवि थाना नहतौर

2. मु0अ0सं0 198 / 2021 धारा 457 / 380 / 411 भादवि थाना नहतौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जय कुमार सिंह थाना नहतौर जिला बिजनौर
2. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना नहतौर जिला बिजनौर
3. उ0नि0 बबलू सिंह थाना नहतौर जिला बिजनौर
4. का0 285 प्रदीप कुमार थाना नहतौर जिला बिजनौर
5. का0 2082 बिन्दू कन्दौल थाना नहतौर जिला बिजनौर
6. का0 2366 मोनू कुमार थाना नहतौर जिला बिजनौर



थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त मौ0 अजीम पुत्र रहमत अली नि0 मौ0 कायस्थान थाना शेरकोट अवैध चरस सहित गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी व क्षेत्राधिकारी अफजलगढ के निकट पर्यवेक्षण मे थाना शेरकोट पुलिस द्वारा दिनांक 20.07.21 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान कस्बा शेरकोट के चुंगी न0 -05 के पास अवैध चरस के साथ अभियुक्त 1. मौ0 अजीम पुत्र रहमत अली नि0 मौ0 कायस्थान कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो काफी समय से अवैध कार्यों मे लिप्त अभियुक्त से पूछताछ पर उसके द्वारा बताया गया की वह अपने साथियों की मदद से इस प्रकार के अवैध कार्य करता है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0-133/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.मौ0 अजीम पुत्र रहमत अली नि0 मौ0 कायस्थान कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर उम्र- 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0स0—133/21 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.

बरामदगी का विवरण:—

1. करीब 250 ग्राम चरस
3. 710 रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीम:—

1. थानाध्यक्ष श्री अनुज कुमार तोमर थानाध्यक्ष शेरकोट बिजनौर
2. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार थाना शेरकोट बिजनौर
3. उ0नि0 श्री सुशील तोमर थाना शेरकोट बिजनौर
4. का0 467 प्रशान्त कुमार थाना शेरकोट बिजनौर
5. का0 862 सुजीत तोमर थाना शेरकोट बिजनौर
6. का0 469 रवि मलिक थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
7. का0 107 दिनेश कुमार थाना शेरकोट बिजनौर



थाना स्योहारा:— आज दिनांक 21.07.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी कस्बा ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 373/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।



थाना स्योहारा:— आज दिनांक 21.07.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त कुश कुमार पुत्र धन सिंह निवासी जमापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

